Deccan Herald- 03- May-2023

Pennar river dispute: SC gives 4 weeks time to set up tribunal

NEW DELHI, DHNS: The Union government on Tuesday sought four weeks time to set up a tribunal to adjudicate a dispute between Tamil Nadu and Karnataka with regard to Pennar river.

When matter came up for hearing before the Supreme Court bench comprising Justices M R Shah and Manoj Mishra, advocate representing jal shakti ministry said that the note for setting up the Tribunal was sent to Union Cabinet for approval.

Once the Union Cabinet approved it, the Tribunal will be set up. Earlier, the SC had given three months time to set up the Tribunal.

Business Line- 03- May-2023

Over 70% of water bodies in Delhi, Karnataka not in use

Parvathi Benu
Chennai

There is something worrying about the water bodies in Delhi and Karnataka — more than 70 per cent of them are 'not in use'. The data is according to India's first census on water bodies released by the Ministry of Jal Shakti in April.

DATA FOCUS.

However, at an all-India level, things are quite good; of the total waterbodies numbering 24,24,540, around 83.7 per cent are still in use.

Among the larger States, Gujarat and Maharashtra have done quite well. More than 98 per cent of their water bodies are in use. Only 166 of Gujarat's 54,069 water bodies are not in use. The census considers all natural or man-made units bounded on all sides with some or no masonry work used for storing water for irrigation or other purposes as water bodies.

A CLOSER LOOK

There are 27,013 water bodies in Karnataka — of which 789 are located in urban areas and none of them are in use. Of the remaining, only 5,874 are in use. The report noted that 3,204 water bodies in the State that are not in use have dried up, while 2,357 are filled with silt.

In Delhi, too, none of the urban water bodies are in use. Of all its 893 water bodies, 90 have dried up and 120 are polluted by industrial effluents.

The census also noted that more than 45 per cent of the water bodies in Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Tamil Nadu are not in use "due to being dried up, construction, siltation, destroyed beyond repair, due to industrial effluents, salinity and some other reasons". A whopping 50,197 water bodies are not in use in Tamil Nadu — 21,449 are dried up and 5,621 are filled with silt.

West Bengal tops the list of States with most number of water bodies with 7.47 lakh. Of them, 6.98 lakh are in use. Uttar Pradesh follows with 2.45 lakh water bodies. Interestingly, the State also has the highest number of 'not in use' water bodies in the country — 65,501. However, it is just 27 per cent of the State's total water body population.

Ponds make up for the majority of water bodies in the country (59.5 per cent). "Tanks account for 15.7 per cent of the water bodies whereas the others are reservoirs, water conservation schemes/ check dams/ percolation tanks and lakes respectively," the report noted.

Water woes

More than 30% water bodies not in use in 7 States

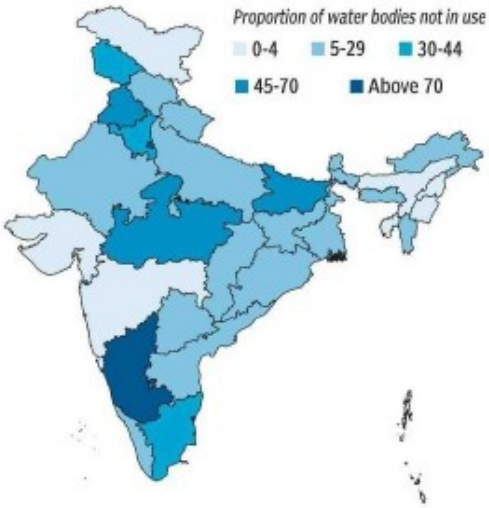

West Bengal has the most number of water bodies in the country

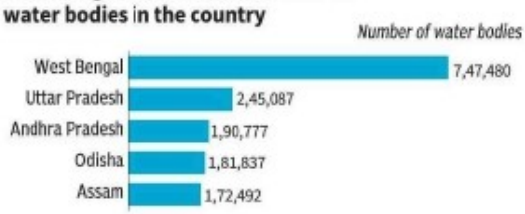

Why the water bodies are not in use in major States

	Number of water bodies not in use	Reasons						
		Dried up	Siltation	Construction	Destroyed beyond repair	Salinity	Industrial effluents	Others
Karnataka	**21,139**	3,204	2,357	1,373	211	55	96	13,843
Delhi	**656**	77	90	8	1	10	120	350
Madhya Pradesh	**45,386**	8,036	1,366	594	917	114	168	34,191
Punjab	**8,332**	471	307	330	95	129	94	6,906
Bihar	**22,799**	3,957	5,830	3,560	1,742	488	129	7,093
Tamil Nadu	**50,197**	21,449	5,621	2,808	1,095	326	115	18,783

Source: Census of water bodies

Dainik Jagran- 03- May-2023

गहराता जल संकट दे रहा चेतावनी

जब किसी क्षेत्र में जल उपयोग की मांग बढ़ जाए और उसके सापेक्ष आपूर्ति कम हो तो उस क्षेत्र में रहने वाले पानी की कमी से जूझने लगते हैं। स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि विभिन्न जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के बावजूद आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाती। पानी की इस कमी को जल संकट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस संकट का सामना कर रहा है। आइये डालते हैं एक नजर :

100%
वृद्धि विश्व में जल खर्च करने में जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष हो चुकी है।

20
करोड़ घंटे से अधिक समय विश्व में महिलाएं हर दिन दूर से जल लाने में व्यतीत करती हैं ।

50%
से अधिक हिस्सेदारी विश्व में जल संकट से ग्रस्त लोगों में भारत व चीन की है।

50%
लोग विश्व में वर्ष के एक हिस्से में गंभीर जल संकट का सामना करने को विवश हैं।

9.1
करोड़ लोगों तक देश में पेयजल की उपलब्धता नहीं है।

8,220
ग्राम पंचायतों में चल रही अटल भूजल योजना विश्व की सबसे बड़ी सामुदायिक भूजल प्रबंधन योजना है। केंद्र की इस योजना में विश्व बैंक भी भागीदार है।

2 डिग्री सेल्सियस के बजाय यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक लिया जाए तो विश्व में जल संकट का सामना कर रहे लोगों की संख्या करीब आधी कम की जा सकती है।

- पृथ्वी पर मौजूद ताजे पानी का 2.5% ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ, वातावरण में वाष्प और मिट्टी में नमी के रूप में पाया जाता है, जिस तक पहुंच संभव नहीं है।

70%
भूजल का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के कारण लोगों के लिए खाद्यान्न पर भी संकट आ सकता है।

20
वर्ष में पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध संसाधनों में संग्रहित जल (बर्फ और मिट्टी में नमी मिलाकर) एक सेमी प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है।

2
अरब से अधिक लोगों को विश्व में स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है।

25%
तक जल संचय पंजाब में राज्य सरकार व विश्व बैंक की पायलट परियोजना के अंतर्गत किसान करने में सफल रहे हैं।

18%
हिस्सेदारी भारत की विश्व की जनसंख्या में है, जबकि जल संसाधनों में इसका भाग केवल 4% है। भारत विश्व के सर्वाधिक जल संकट वाले राष्ट्रों में से एक है।

Haribhoomi- 03- May-2023

महानदी के जल बंटवारा को लेकर ट्रिब्यूनल की टीम कोरबा पहुंची

टीम ने बांगो बांध और दर्री बैराज की जल क्षमता देखी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने गठित ट्रिब्यूनल ने हसदेव नदी पर स्थित हसदेव बांगो परियोजना और दर्री बैराज का दौरा किया। बांध और बैराज के जल भराव को देखा। मौके पर उपस्थित प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की। लगभग आधे घंटे तक बांध का निरीक्षण करने के बाद टीम अगले पड़ाव की ओर निकल गई। बांगो प्रवास के दौरान टीम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। यहां से दर्री बैराज पहुंची।

गठित ट्रिब्यूनल दल में शामिल हैं 38 सदस्य

महानदी जल बंटवारे को लेकर गठित ट्रिब्यूनल में 38 सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एएम खानविलकर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान ट्रिब्यूनल के सदस्यों के अलावा कोरबा कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से की शिकायत

महानदी के जल बंटवारे को लेकर ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से शिकायत की है। इसमें महानदी पर बने छह बैराज का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ओडिशा को पानी कम आ रहा है। ओडिशा सरकार ने जल बंटवारे की मांग की है। इस पर केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मार्च, 2018 में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था।

Rashtriya Sahara- 03- May-2023

जल स्रोतों को बचाना चुनौतीपूर्ण

मुद्दा

सुरेश भाई

हम जल संकट का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 100 मिलियन लोग जल की कमी के कगार पर हैं। कई बड़े शहर-गांवों में पानी की भारी समस्या देखने को मिल रही है। इस बीच, सचेत किया जा रहा है कि भारत की 40 फीसद आबादी को 2030 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होगा।

जल स्रोत स्वच्छ जल का महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन ध्यान रहे कि दुनिया की 18 फीसद आबादी भारत में है, जहां केवल 4 फीसद साफ पानी है। इसमें भी 80 फीसद पानी कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में यदि जल निकायों का उचित प्रबंधन नहीं होता है तो साफ पानी बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारत के गांवों, नगरों आदि स्थानों पर जल स्रोतों की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। निश्चित ही यह जल निकायों की पहली गणना के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानव-निर्मित जल संरचनाओं के आकार, स्थिति, उपयोग, जल भंडारण क्षमता आदि का उल्लेख किया गया है। देश में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना हुई है। इनमें सबसे अधिक 7.47 लाख तालाब और जलाशय पश्चिम बंगाल में हैं, और सबसे कम 134 सिक्किम में हैं। महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल बताया गया है। भारत के कुल जल निकायों में से 97.1 फीसद यानी 23,55,055 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 2.9 फीसद यानी 69,485 शहरी क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही 9.6 फीसद (जिनकी संख्या 2,32,637 हैं) आदिवासी क्षेत्रों और 2 प्रतिशत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। जल निकायों में 16.3 फीसद यानी 3,94,500 जल स्रोत ऐसे हैं, जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्द खत्म हो जाएंगे। 1.7 फीसद ऐसे जल स्रोत हैं, जो 50 हजार या उससे अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसी में 90 फीसद से अधिक ऐसे भी जल निकाय हैं, जो 100 लोगों की जरूरत को ही पूरा करते हैं। दोहन, शोषण और प्रदूषण से प्रभावित 1.6 फीसद (जिनकी कुल संख्या 38,496 हैं) जल निकाय अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के कुल आंकड़े में से 95.4 फीसद ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और 4.6 फीसद नगरीय क्षेत्रों में हैं। अनेक झीलें अतिक्रमण का सामना कर रही हैं। जल निकायों की गणना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 15,301, तमिलनाडु में

8,366, आंध्र प्रदेश में 3,920 जलाशय और झीलें अतिक्रमण से प्रभावित हैं। इसके कारण हैं बढ़ती लापरवाही और अनियंत्रित दोहन।

उत्तराखंड का उदाहरण है कि तेजी से प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। 461 जल स्रोत ऐसे हैं, जिनमें 76 प्रतिशत से अधिक पानी सूख चुका है। दिनोंदिन बढ़ती इस गंभीर स्थिति पर नीति आयोग कह चुका है कि हिमालय क्षेत्र के राज्यों में 60 फीसद से अधिक जल स्रोत सूख गए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों में भी बताया गया है कि देश के 700 जिलों में 256 ऐसे हैं, जहां भूजल का स्तर अतिशोषित हो चुका है। तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी की पहुंच नहीं है। वे असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25 फीसद है। देश में 70 फीसद जल स्रोत दूषित हैं जिसके कारण लोग तरह-तरह के रोगों से ग्रसित हैं। प्रमुख नदियां प्रदूषण के कारण मृतप्राय हैं। जिस तरह दुनिया का पहला जलविहीन शहर दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन बन गया है, उसी तरह की स्थिति हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों में रह रहे अनेक गांव और शहरों में है, जिसके संकेत दिखाई दे रहे हैं।

जल निकायों की गणना में चौंकाने वाली बात है कि इनमें 78 फीसदी मानव निर्मित हैं, और 22 फीसद यानी 5,34,077 जल निकाय प्राकृतिक हैं। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक स्रोत तेजी से गायब हो रहे हैं। कुल जल निकायों की क्षमता के संबंध में बताया गया है कि 50 फीसद जल निकायों की भंडारण क्षमता 1000 से 10,000 क्यूबिक मीटर के बीच है। वहीं 12.7 फीसद यानी 3,06,960 की भंडारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि 3.1 फीसद का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से ज्यादा है जबकि 72.5 फीसद का विस्तार 0.5 हेक्टेयर से कम है। जल निकायों की इस गणना के बाद सुनिश्चित होना चाहिए कि देश के नीति-निर्माता उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भविष्य में जल संसाधनों के सही नियोजन, विकास और उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाएं। जल, जंगल, जमीन की एकीकृत नीतियां बनानी पड़ेंगी। चुनावी घोषणा पत्रों में स्वच्छ जल वापसी का मुद्दा शामिल किया जाए। राज समाज के बीच ऐसी जीवन शैली बने कि जिस में जल संरक्षण के लिए पर्याप्त स्थान हो। ऐसी योजनाएं बिल्कुल न चलाई जाएं जहां जल का अधिक दोहन-शोषण होता है, और बाजार द्वारा बंद बोतलों का पानी गांव तक पहुंचया जा रहा है। कोशिश हो कि प्रकृति और मानव के बीच में जल ही जीवन के रिश्ते की डोर बनी रहे। इस प्रयास को इस गणना के बाद राज-समाज को मिलकर करना होगा।